(12)

छत्तीसगढ़ शासन
पर्यावरण एवं नगरीय विकास वि
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, राय

क्रमांक एफ.9-2/18/2004 रायपुर, दिनांक 28/12/2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (नाम से),
   छत्तीसगढ़
2. समस्त आयुक्त,
   नगरपालिक निगम, छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय:- वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना, अटल आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के दिशा-निर्देश में संशोधन.

विषयांतर्गत् इस विभाग द्वारा वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास, अटल आवास, मुख्यमंत्री स्वावलंबन एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के अंतर्गत् जारी किये गये दिशा-निर्देश में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना, अटल आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 'निर्मित/निर्माणाधीन आवास/दुकान/चबूतरा/गुमटियों का आवंटन ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को, जो स्वरोजगार के अंतर्गत् दुकानों का संचालन विभिन्न व्यवसाय हेतु कर रहे है और/ या विद्यमान आवास में रह रहे हों और जिनका व्यवस्थापन अन्यत्र या वर्तमान स्थान के समीप किया जाना समिति की राय में आवश्यक हो, को किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बी.के. सिन्हा)
विशेष सचिव
नगरीय विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ.9-2/18/2004 रायपुर, दिनांक 28/12/2005

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर.
2. उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर/बिलासपुर संभाग.
3. उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर.
4. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़

विशेष सचिव
नगरीय विकास विभाग

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

दिशा निर्देश

1. उद्देश्य:

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना" प्रारंभ की जा रही है ।

2. पात्रता:

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में रहने वाले 18 से 40 वर्ष तक की आयु के युवक/युवतियों, जिनके स्वयं के पास रोजगार कोई साधन न हो तथा जिनके अभिभावक/पालक की आय एक लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे ।

3. योजना का कार्य क्षेत्र तथा कियान्वयन:

योजना प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू होगी तथा इसका कियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जायेगा । जिला कलेक्टर, जो जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष भी है, योजना के नोडल अधिकारी होंगे ।

4. योजना के अंतर्गत् दिया जाने वाला लाभ :

इस योजना के अंतर्गत् नगरीय निकाय के द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत् दुकान/चबूतरा बनाकर बेरोजगार व्यक्ति से थोड़ी सी अमानत राशि के अलावा मासिक किराया भी नियमति रूप से पटाना होगा । दुकान पर मालिकाना हक नगरीय निकाय का रहेगा तथा आबंटिति किरायेदार के रूप मे अपना व्यवसाय कर सकेगा ।

5. योजना के लिए भूमि :

इस योजना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा । क्योंकि वे योजना के कियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे । वे आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें उपयुक्त भूमि रूपये 1/- प्रति वर्गफुट की प्रीमियम पर उपलब्ध करायेंगे । यदि नगरीय निकाय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो तो वे उस पर भी योजना ले सकेंगे ।

6. योजना में लिए जा सकने वाले कार्य तथा वित्तीय व्यवस्था:

(क) पक्की दुकानें:

योजना के अंतर्गत् दुकानों की संख्या का आकलन नगरीय निकाय द्वारा शहर की आवश्यकता व आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जायेगा । उपयुक्त स्थानों पर नगरीय निकाय द्वारा उचित संख्या में 8X10 वर्गफुट तक के नाप की छोटी-छोटी दुकानें बनाई जायेगी ।

दुकानों की लागत को ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत् राशि नगरीय विकास विभाग से नगरीय निकायों को प्रदान की जायेगी । शेष राशि की व्यवस्था नगरीय निकायों को स्वयं करना है, जिसके लिए हुडको अथवा किसी बैंक से ऋण लिया जा सकता है । इस परियोजना हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी । दुकानों का किराया देते समय बेरोजगार व्यक्ति के द्वारा निम्नानुसार अमानत की राशि व मासिक किराया नगरीय निकाय को देय होगा:-

(अ) नगर पंचायतों की स्थिति में	- अमानत चार हजार रूपये व किराया रूपये 400/- प्रतिमाह
(ब) बीस हजार से पचास हजार तक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की स्थिति में	अमानत पांच हजार रूपये व किराया रूपये 500/- प्रतिमाह
(स) पचास हजार से एक लाख तक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की स्थिति में	- अमानत राशि छः हजार रूपये मकान किराया रूपये 600/- प्रतिमाह

(द) तीन लाख तक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगमों की स्थिति में - अमानत राशि आठ हजार रूपये व किराया रूपये 800/- प्रतिमाह

(इ) तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों की स्थिति में - अमानत राशि दस हजार रूपये व किराया रूपये 1,000/- प्रतिमाह

अमानत की राशि एक मुश्त जमा करना होगा ।

प्रत्येक 3 वर्ष में दुकानों के मासिक किराये में 15 प्रतिशत् की वृद्धि की जा सकेगी ।

यदि दुकानें गैर व्यवसायिक क्षेत्र मे स्थित हैं तो परिस्थिति के अनुसार नगरीय निकाय द्वारा मासिक किराये में एक तिहाई तक की छूट दी जा सकेगी ।

7. दुकानों/चबूतरों का आरक्षण:

विभिन्न श्रेणियों के लिए दुकानें/चबूतरें ''नगर पालिक(अचल संपत्ति का अंतरण) नियम'' के अनुरूप निम्नानुसार आरक्षित किये जायेंगे:-

(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए - पन्द्रह प्रतिशत्

(ब) अन्य पिछड़े वर्गो के लिए - तीन प्रतिशत्

(स) विधवाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए - दो प्रतिशत्

(द) विकलांगों के लिए (इनमें दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी) - दो प्रतिशत्

(ई) भूतपूर्व सैनिकों के लिए - दो प्रतिशत्

(फ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए - दो प्रतिशत्

(क) शिक्षित बेरोजगारों के लिए - पांच प्रतिशत्

(ख) महिलाओं के लिए - दस प्रतिशत्

8. अन्य शर्ते :

(अ) आबंटिती व्यक्ति दुकानों/चबूतरों में व्यवसाय स्वयं चलायेंगे, किसी अन्य को किराये पर नहीं देंगे ।

(ब) यदि किसी आबंटिती व्यक्ति को दुकान/चबूतरा की आवश्यकता न हो तो उसे दुकान/चबुतरा नगरीय निकाय को वापस लौटानी होगी ।

(स) अनुबंध की शर्ते का उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय को दुकान/चबूतरा रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा :

(द) एक परिवार से एक व्यक्ति को ही आबंटन किया जायेगा ।

(इ) उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

9. **भूमि का चयन तथा दुकान/चबूतरा आबंटन प्रक्रिया:**

योजना के अंतर्गत् दुकानों/चबूतरों के निर्माण हेतु भूमि का चयन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा । समिति द्वारा चयनित सूची के अनुसार आबंटन आदेश आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा ।

10. निकाय द्वारा योजना का प्रस्ताव महापौर/अध्यक्ष परिषद् से अनुमोदन उपरांत **जिला शहरी विकास अभिकरण** को प्रस्तुत किया जायेगा ।

11. लेखा का संधारण :

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण उनके जिले की संबंधित निकायों के लिए तथा निकाय स्तर पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा लेखा का संधारण किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से राज्य

41

शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी किश्तों का निर्गमन किया जा सकेगा । जिला शहरी विकास अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निकाय में व्यय राशि न्यूनतम् हो और राशि का किसी प्रकार से दुरूपयोग या अन्यथा उपयोग न किया जावे ।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी, जिसका परिचालन आयुक्त, नगरपालिक निगम अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी (जैसी स्थिति हो) तथा परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा ।

(बी.के.सिन्हा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक /07/2009

क्रमांक : /5076/18/2009 ::– राज्य शासन द्वारा राज्य प्रवर्तित योजनाओं के मापदण्ड एवं वित्तीय सीमा के निर्धारण हेतु विभाग द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 20.02.2009 में अनुशंसानुसार राज्य प्रवर्तित योजनाओं के लिए पुनरीक्षित मापदण्ड अनुसार निम्नांकित वित्तीय सीमा निर्धारित किया जाता है :–

क्र.	योजना का नाम	प्रचलित वित्तीय मापदण्ड	संशोधित वित्तीय मापदण्ड
1.	सरोवर धरोहर योजना	9.10 लाख/हेक्टेयर	11.90 लाख/ हेक्टेयर
2.	पुष्प वाटिका उद्यान योजना	11.05 लाख/हेक्टेयर	16.00 लाख/हेक्टेयर
3.	उन्मुक्त खेल मैदान योजना	7.50 लाख/हेक्टेयर	10.25 लाख/हेक्टेयर
4.	ज्ञान स्थली योजना :–		
	प्राथमिक शाला –	3.00 लाख	5.25 लाख
	माध्यमिक शाला –	5.00 लाख	7.35 लाख
	हाई स्कूल –	7.00 लाख	8.65 लाख
	महाविद्यालय –	8.00 लाख	9.70 लाख
5.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :–		
	दुकान 3.50 मी. X 3.00 मी. –	25000/– प्रति दुकान	0.57 लाख प्रति दुकान
	दुकान 2.50 मी. X 3.00 मी. –		0.46 लाख प्रति दुकान
6.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना :–		
	12 सीटर शौचालय –	6.00 लाख	8.00 लाख
	20 सीटर शौचालय –	9.00 लाख	11.40 लाख
	26 सीटर शौचालय –	10.00 लाख	13.60 लाख

2/– उल्लेखित योजनाओं के लिए पूर्व में जारी दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

3/– भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं का संशोधित मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जावें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गेबनुस खलखो)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Dy CEO
give copy to all
to ULBs
22/8